



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-837/733

नया रायपुर, दिनांक 12/03/2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वृत्त, अबिकापुर
छत्तीसगढ़

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Manendragarh Division" Bharat Net project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 5.612 ha. regarding

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 05-08/ 2021/10-2 दिनांक 02.03.2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)। प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा प्रकरण में 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतएव संदर्भित पत्र में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- संदर्भित पत्र की छाया प्रति

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115- 837/ 734

रायपुर, दिनांक 12/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. वन मंडलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल, मनेन्द्रगढ़, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-08/2021/10-2

नवा रायपुर, दिनांक /03/2021

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छ.ग. अरण्य भवन,

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,

नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर द्वारा कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.612 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-1ए/115-837/273, दिनांक 01.02.2021 ।

—00—

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके परीक्षण में निम्न बिन्दुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही हैं :-

1. संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 11 में घनत्व 0.6 दर्शाया गया है, जबकि प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 53 (वनमंडलाधिकारी की अनुशंसा संबंधी भाग-2) के बिन्दु क्र. vi में घनत्व 0.6 से अधिक लेख है।
 2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 53 से 55 में वनमंडलाधिकारी के द्वारा प्रदाय की जाने वाली भाग-2 संबंधी प्रपत्र में वनमंडलाधिकारी द्वारा बिन्दु क्र. 7 में अपनी स्पष्ट अनुशंसा अंकित नहीं की गई है।
 3. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 58 से 64 में वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन "प्रपत्र-3" के बिन्दु क्र. 12 में "हों" अथवा "न" में टीप अंकित किया जाना था, जिसमें "निरंक" लेख किया गया है।
- 2/- अतः निवेदन है कि कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर शीघ्र टीप प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरान्त प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

विविध

(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नवा रायपुर, दिनांक 2/03/2021

पृष्ठां.क्रमांक एफ-5-08/2021/10-2

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
 2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर छत्तीसगढ़।
 3. वनमंडलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वनमंडल, छत्तीसगढ़।
 4. आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

20/02

08/03/2021